



CIN No. : L26943RJ1979PLC001935
Phone : 01462 228101-6
Toll Free : 1800 180 6003 / 6004
Fax : 01462 228117 / 228119
E-Mail : shreebwr@shreecement.com
Website : www.shreecement.com

SHREE CEMENT LTD.

An ISO 9001, 14001, 45001 & 50001 Certified Company

Regd. Office:

BANGUR NAGAR, POST BOX NO.33, BEAWAR 305901, RAJASTHAN, INDIA

SCL/BWR/SE/2021-22/
3rd March, 2022

FAX NO. 022 – 26598237 / 26598238

National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza,
Bandra – Kurla Complex, Bandra (East)
MUMBAI – 400 051

SCRIP CODE: SHREECEM EQ

FAX NO. 022-22722041 / 22722061

Bombay Stock Exchange Ltd.
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
25th Floor, Dalal Street,
MUMBAI – 400 023

SCRIP CODE 500387

Re:- Newspaper Advertisement confirming completion of dispatch of Postal Ballot Notice

Dear Sirs,

Pursuant to Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached herewith copies of the notice published in "The Financial Express" (in English) and "Dainik Navajyoti" (in Hindi) on 3rd March, 2022 w.r.t. completion of dispatch of Postal Ballot Notice along with Postal Ballot Form to the members.

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **SHREE CEMENT LIMITED**

(S.S. KHANDELWAL)
COMPANY SECRETARY

JAIPUR OFFICE : SB-187, Bapu Nagar, Opp. Rajasthan University, JLN Marg, Jaipur 302015

Phone : 0141 4241200, 4241204

NEW DELHI OFFICE : 122-123, Hans Bhawan, 1, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi 110002

Phone : 011 23370828, 23379218, 23370776

CORP. OFFICE : 21, Strand Road, Kolkata 700001 Phone : 033 22309601-4 Fax : 033 22434226

नियमित भूखण्डों का नियमन निरस्त कर भू कारोबारी को दे दिया एकल पट्टा

एडीए में जनसुनवाई में आवेदक ने लगाया आरोप, नियमन की डिमाण्ड राशि जमा कराने के बाद भी पट्टे के लिए खा रहा हैं धक्के



एडीए की जनसुनवाई में उपस्थित अधिकारी एवं अन्य लोग।

-बालकिशन झा

कासं/अजमेर

अजमेर विकास प्राधिकरण की बुधवार को हुई नियमित जनसुनवाई में पंजीकृत 34 में से 10 आवेदकों ने ही उपस्थित होकर अपनी व्यथा सुनाई। एलआईसी कॉलोनी निवासी मोहम्मद दाउद खान ने उसके भूखण्डों के कृषि भूमि नियमन को लेकर एडीए द्वारा किए बताव की पीड़ा को बर्ना कर सवाल किए। जिसके जवाब एडीए के अफसर नहीं दे सके। उसने सुनवाई कर रहे एडीए अध्यक्ष एवं कलक्टर अंश दीप और एडीए सचिव किशोर

कुमार को बताया कि भू कारोबारी से मिलीभगत कर उसके भूखण्डों का नियमन 19 साल बाद निरस्त कर भू कारोबारी को एकल पट्टा दे दिया। लेकिन नियमन की डिमाण्ड राशि जमा कराने के बावजूद उसे पट्टा क्यों नहीं दिया गया, उसका नियमन निरस्त क्यों किया और उसके भूखण्डों को जोड़कर भू कारोबारी को एकल पट्टा कैसे जारी किया गया? इस पर अधिकारियों ने उसे प्रकरण की जांच कराने का भरोसा दिलाकर लौटा दिया।

अपनी शिकायत में उसने उल्लेख किया कि उसने राजस्व ग्राम चौरधियावास

में जयनगर हाउसिंग सोसायटी से खरीदी गए भूखण्ड संख्या 8, 10, 19 और 21 के नियमन के लिए वर्ष 2001 में आवेदन किया था। तत्कालीन नगर सुभाष न्यास प्रशासन ने उसे भूखण्ड संख्या 8 का नियमन आवेदन भूखण्ड के सड़क से प्रभावित होने के कारण निरस्त कर दिया। जबकि भूखण्ड संख्या 10, 19 और 21 की डिमाण्ड राशि स्वयं दाउद खान, उसकी पत्नी नुसरत खान एवं यासमीन खान ने 31 मार्च 2001 को प्राधिकरण में जमा करा दी। एडीए ने भूखण्ड संख्या 10 का तो पट्टा जारी कर दिया। लेकिन भूखण्ड

संख्या 19 और 21 का पट्टा जारी नहीं किया। जबकि वह बरसों से एडीए में आकर पट्टा जारी करने की गुहार लगाता रहा, किसी ने उसकी सुनवाई नहीं की।

उसे हेरानी तब हुई जब एडीए के कार्मिकों ने वर्ष 2012 में जिस भूखण्ड संख्या 10 का उसे पट्टा जारी किया था, उस भूखण्ड संख्या 10 सहित सोसायटी के भूखण्ड 8, 9, 19 और 21 व अन्य भूखण्डों और उनके आगे की 25 फीट रोड को शामिल कर भू कारोबारी के नाम एकल पट्टा जारी कर दिया। वहीं 19 साल बाद उसके भूखण्डों का नियमन निरस्त कर 12 अप्रैल 2019 को नियमन की जमा कराई गई राशि उस सहित अन्य भूखण्डधारियों के खाते में जमा करा दी। उसने बताया आस्टीआई में जानकारी चाहने पर उपायुक्त ने उसे जवाब दिया कि उसकी फाइल ही एडीए में उपलब्ध नहीं है। जाहिर है मिलीभगत के चलते उसके साथ अन्याय किया गया है। जनसुनवाई के दौरान पूर्व की जनसुनवाई में आप्र प्रकरण पर एडीए द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी भी दी गई।

सहकारी विभाग के ऋणी बिना ब्याज 31 तक चुका सकेंगे कर्ज

अजमेर। सहकारिता विभाग द्वारा संचालित कृषि और अकृषि ऋण योजना के अन्तर्गत ऋण प्राप्त करने वाले किसानों एवं खाताधारकों को 31 मार्च तक बकाया ऋण चुकाने पर ब्याज की छूट मिलेगी।

विभाग ने एकमुश्त समझौता योजना का लाभ देने के लिए पूर्व में जारी 31 मार्च 2017 के स्थान पर 31 मार्च 2019 एवं पहले तक

के ऐसे खाते, जो एपीएए हो चुके हैं, को भी शामिल किया गया है। निर्धारित अवधि तक बकाया चुकाने वाली को भी दो साल के नए एपीएए का लाभ मिल सकेगा। अजमेर सेक्टरल कोऑपरेटिव बैंक ने विभाग को इस योजना का किसानों और अन्य खाताधारकों को लाभ देने के लिए सभी बैंक शाखाओं को वसूली के लिए पहले से ही हिस्तिप ऐसे लोगों से सम्पर्क कर

उन्हें ऋण जमा कराने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए हैं। पूर्व में यह योजना 30 जून 2021 तक के लिए थी, जिसे बढ़ाकर अब 31 मार्च कर दिया है। इस माह की समाप्ति में अब मात्र 28 दिन शेष रह गए हैं। इसमें भी दो द्वितीय और चतुर्थ शनिवार, चार रविवार और दो दिन होलिका रहन व बृहस्पति के अवकाश के बाद 20 दिन ही रहे जाते हैं।



संविदाकर्मियों ने लिया आधे दिन का सामूहिक अवकाश

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन : नियमित करने की मांग

कासं/अजमेर।

नियमितिकरण की मांग को लेकर राज्य स्तरीय आह्वान पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत तेनात जिले भर के संविदाकर्मियों ने बुधवार को जिला कलक्टर को अपनी मांगों का जापान सीपा और दोपहर बाद आधे दिन के सामूहिक अवकाश पर चले गए।

डीपीएम सन्तोष कुमार सिंह के अनुसार मिशन के अन्तर्गत विभिन्न सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं के कुशलतापूर्वक संचालन में तेनात संविदाकर्मियों को काम करते हुए

लगभग बीस-बीस साल हो गए हैं। सरकार उनका हर साल संविदाकाल बढ़ा देती है। जबकि सभी कार्मिक पिछले कई सालों से सरकार से उन्हें नियमित करने की मांग कर रहे हैं। राज्य स्तरीय आह्वान पर नियमितिकरण की मांग को लेकर जिला कलक्टर को मुख्मंत्री के नाम जापान सीपा गया है। उसके पश्चात सभी कार्मिक आधे दिन के सामूहिक अवकाश पर चले गए। जापान देने वालों में अरुल भटनगर, ओम टेपण, शंकरलाल प्रजापत, सुखपाल जाट सहित कई लोग सम्मिलित थे।

मानदेय प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के प्रति सरकार संवेदनशील नहीं

विधायक भदेल ने लगाया आरोप, कहा- उनके विधानसभा में सवाल लगाने के बाद हुआ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 15 महीने के मानदेय का भुगतान

कासं/अजमेर।

भाजपा विधायक अनिता भदेल ने कहा है कि उन्होंने जब राज्य विधानसभा में ताराकित प्रश्न के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को दिए जाने वाले बकाया मानदेय के भुगतान का मुद्दा उठाया, तब सरकार जानी और उसने वर्ष 2020 के नवम्बर व दिसम्बर तक, वर्ष 2021 में जनवरी से दिसम्बर तक पूरे एक वर्ष का तथा जनवरी 2022 के बकाया मानदेय का भुगतान फरवरी में एकसाथ किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मानदेय प्राप्त करने वाले छोटे कर्मचारियों के प्रति सरकार संवेदनशील नहीं है। बुधवार को उनके प्रश्न पर चर्चा हुई।

भदेल ने कहा, प्रतिमाह भुगतान को तरसती आंगनबाड़ी कार्यकर्ता परियोजना अधिकारी कार्यालय के चक्कर ही लगाती रहती हैं। मानदेय कर्मचारियों का भुगतान प्रतिमाह होना चाहिए। मानदेय के अतिरिक्त आंगनबाड़ी भवन किराया, क्रय सामग्री व मोबाइल रिचार्ज का भुगतान भी प्रतिमाह करने के बजाय विधानसभा में सवाल लगाने के बाद ही किया गया है। जबकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व मानदेय कर्मचारियों को भुगतान प्रतिमाह किया जाना चाहिए था। भदेल ने सरकार से

पूछा, क्या अजमेर जिले के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को रिजल्ट एडमिनिस्ट्रिंग हेतु मोबाइल उपलब्ध कराते हुए टैट रिचार्ज के लिए भत्ता दिया जा रहा है? उक्त भत्ता कितने समय से बकाया चल रहा है? इस पर सरकार से जवाब मिला कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को रिजल्ट एडमिनिस्ट्रिंग हेतु मोबाइल डेटा रिचार्ज भत्ता 200 रुपए प्रतिमाह दिया जाता है। अजमेर जिले की दो परियोजना जवाजा व पुष्कर में 6 लाख 35 हजार 400 रुपए नेट रिचार्ज भत्ते का भुगतान अभी भी बकाया चल रहा है।

भदेल ने सरकार से मांग की कि प्रत्येक परियोजना में नेट रिचार्ज भत्ते की राशि को 200 रुपए से बढ़ाया जाए, क्योंकि कोविड-19 के कारण अभी भी बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्र नहीं बुलाया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा मोबाइल पर ही आंगनबाड़ी की रिपोर्ट बनाने का कार्य किया जाता है, साथ ही बच्चों को पढ़ाने का कार्य भी करती हैं। इस कारण 200 रुपए प्रतिमाह होने वाला डेटा प्लान समय अवधि से पूर्व ही खत्म हो जाता है। यही वजह है कि कार्यकर्ताओं को काफी मशक्कत करनी पड़ती है।

मांगलिक दोष निवारण पूजन 4 मार्च को

अजमेर। स्थानीय मदारगेट, गांधीभवन के पास स्थित शिवमंदिर के पं. राजेश पारीक के अनुसार 4 मार्च शुक्रवार, फुलेरा दृज के दिन शीश विवाह हेतु मांगलिक दोष निवारण पूजन करवाया जाएगा। पं. पारीक के अनुसार जिनकी कुण्डली में कालसर्प योग, पितृदोष, चाण्डाल योग, ग्रहण योग है, वे कुण्डली दिखाकर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। विवाह विलम्ब, अशर्मा वैवाहिक जीवन, अशर्मा में हानि, परेशानी, शारीरिक कष्ट, तनाव इत्यादि में इस पूजन के माध्यम से अप्रत्याशित लाभ प्राप्त किया जा सकता है। कालसर्प योग से होने वाली निम्न परेशानी व्यापार में बाधा नौकरी में रुकावट, विवाह में विलंब, पति-पत्नी में अनबन, शारीरिक कष्ट, पितृदोष आदि समस्या बनी रहती है। उल्लेखनीय है कि पं. पारीक कुण्डली व अंशशास्त्र के माध्यम से कालसर्प दोष, विवाह में रुकावट, समस्त समस्याओं का निवारण इत्यादि के समुचित समाधान हेतु प्रख्यात है।



डम्पर ने बिजली के तार तोड़े, लोगों की सूझबूझ से हादसा टला

सुभाषनगर रेलवे क्रॉसिंग पर बुधवार शाम सड़क पर गिर करंट प्रवाहित तार

कासं/अजमेर।

सुभाषनगर रेलवे क्रॉसिंग पर बुधवार शाम को स्थानीय लोगों व दुकानदारों की सूझबूझ से गंभीर दुर्घटना टल गई। डीएफसीसी की ओर से बनाए जा रहे ओवरब्रिज के लिए चल रहे निर्माण कार्य के दौरान डम्पर से बिजली के करंट प्रवाहित तार टूटकर सड़क पर आ गिरा। ऐसे में किसी वाहन चालक के चपेट में आने से उसकी जान जा सकती थी। लेकिन आसपास के दुकानदारों ने यातायात रोककर स्थिति को संभाला और तारों को सड़क से हटाया।

सुभाषनगर रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनाने का काम चल रहा है। बुधवार को एक डम्पर बिजली के तारों को तोड़ता हुआ निकल गया। तार सड़क पर गिर गए और उनमें बिजली की सप्लाई चालू थी। स्थानीय दुकानदारों ने तुरन्त गंभीरता को समझते हुए तत्परता दिखाते हुए सड़क से गुजर रहे वाहनों को रोका और तार टूटने की सूचना टाटा पावर और विद्युत विभाग को दी। लेकिन काफी देर तक किसी को टीम मौके पर नहीं पहुंची। इसके चलते क्रॉसिंग के दोनों तरफ वाहनों की लम्बी कतारें लगने से जाम लग गया। ऐसे में कुछ दुकानदारों ने हिम्मत जुटाकर तारों को सावधानी से लकड़ी से उठाकर सड़क के साइड में किया। इसके बाद वाहनों का आवागमन शुरू हुआ।

घटना के करीब 50 मिनट बाद



तार टूटने पर सुभाषनगर में लंगा जाम।

-नवज्योति

विद्युत विभाग की टीम मौके पर पहुंची और लाइनों को वापस जोड़ा। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि यदि

स्थानीय दुकानदार सूझबूझ नहीं दिखाते, तो कई वाहन चालक करंट की चपेट में आ सकते थे।

महिला दिवस आयोजन के लिए निगम में कमेटी गठित

अजमेर। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर 8 मार्च को नगर निगम की ओर से सुभाष उद्यान में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस सम्बंध में बुधवार को मेयर बुजलता हाड़ा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में चर्चा के बाद आयोजन के लिए कमेटी गठित की गई। कमेटी में पापद द्रोपदी देवी, डिम्पल शर्मा, रूबी जैन, हितेश्वरी देवी, लक्ष्मी बुदेल, भावना चौधान, प्रतिभा पाराशर, शीलम बैरवा, उपायुक्त सीता वर्मा, ईईएन रविन्द्र सेनी, राज्यस्व निरीक्षक जनश्री बारहटे, स्टोर कीपर मुकेश मूरजवाना, एलडीसी प्रतीक भारवा शामिल हैं।

भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त

हिंदुस्तान मोबाइल टॉवर

द्वारा अपनी खाली पड़ी जमीन, छत, खेत, प्लॉट पर 4G/5G डिजिटल टॉवर लगायें।

एडवांस 60,00,000/-

किराया + नोकरा वेतन 50,000/-

HELPLINE NO. 09335435624

089022146433

Shree Cement

श्री सीमेन्ट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: बांगड़ नगर, ब्यावर 305 901, जिला-अजमेर (राज.)

फोन: EPABX +91-1462-228101-6 | फैक्स: +91-1462-228117/119 | ईमेल: share@shreecement.com

वेब साइट: www.shreecement.com | CIN: L26943RJ1979PLC001935

नोटिस

कम्पनी के सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 108 तथा 110 के प्रावधानों के अनुसार, सहपंडित कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 और 22 तथा भारतीय प्रतिपुष्टि और विनियम बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटसीकरण की आवश्यकता) विनियम 2015 के विनियम 44 के अनुसार (मौजूदा वैधानिक संशोधनों या पुनः अधिविनियमों के अधीन) और अन्य लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार, कम्पनी विशेष व्यवसाय के संबंध में जो कि डाक मत-पत्र नोटिस दिनांक 4 फरवरी, 2022, जिसके द्वारा सदस्यों की सहमति, विशेष प्रस्ताव के द्वारा मांगी जा रही है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान शामिल है। (रिमोट ई-वोटिंग)

कम्पनी ने 2 मार्च 2022 को पोस्टल बैलेट नोटिस के साथ व्याख्यात्मक बयान और पोस्टल बैलेट फर्म को कम्पनी के उन सभी सदस्यों को जिनका नाम सदस्यों के रजिस्टर/डिपॉजिटरी के रिकार्ड में शुक्रवार, 25 फरवरी 2022 (कट ऑफ डेट) को दर्ज है:-

अ. ओ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिये भेज दी गई है जिनके ई-मेल पते पंजीकृत हैं (उनके अलावा जिन्होंने भौतिक प्रतिलिपि के लिए अनुरोध किया है), और

ब. को भौतिक माध्यम से प्री-पेड सेल्फ एड्रेस लिफाफे के साथ उनके द्वारा पंजीकृत पते पर भेज दिया गया है जिनके ई-मेल पते पंजीकृत नहीं है या जिन्होंने भौतिक प्रतिलिपियों के लिए अनुरोध किया है।

डाक मत-पत्र का उक्त नोटिस कम्पनी की वेब साइट www.shreecement.com या लिंक इनटाईम इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड (लिंक इनटाईम) की वेब साइट <https://instavote.linkintime.co.in> पर भी उपलब्ध है। और जिन सदस्यों को डाक मत-पत्र नहीं मिला है, वे डाक मत-पत्र को कम्पनी की वेब साइट www.shreecement.com से या आरटीए (लिंक इनटाईम इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड) की वेब साइट <https://instavote.linkintime.co.in> से डाउनलोड कर सकते हैं या अपने पंजीकृत ई-मेल पते से ई-मेल भेजकर या कम्पनी सचिव श्री सिमेन्ट लिमिटेड, बांगड़ नगर, ब्यावर - 305901, राजस्थान को पत्र लिखकर डुप्लिकेट डाक मत-पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

कम्पनी के निदेशक मंडल ने निम्न और पारदर्शी तरीके से डाक मत-पत्र और ई-वोटिंग के संचालन के लिये श्री अश्वित कुमार जांगिड़ (सदस्यता संख्या F11285), तथा उनके विफल होने पर सुश्री कृति उपाध्याय (सदस्यता संख्या A58280) ट्रेडिंस्मिंग कम्पनी सचिव को जांचकर्ता नियुक्त किया है।

कम्पनी ने अपने सभी सदस्यों को ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से लिंक इनटाईम की सेवाएँ ली हैं। डाक मत-पत्र के उक्त नोटिस में ई-वोटिंग के निर्देशों का उल्लेख किया गया है। सेवा के परिपत्र दिनांक 9 दिसंबर, 2020, जो कि सुचीबद्ध कम्पनी द्वारा ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने बाबत व्यक्तिगत शेयरधारकों जिनके अंश डिमेट में हैं उनको अपने डीमेट खाते के द्वारा डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से वोट करने की अनुमति है। भौतिक तरीके के अंशधारकों तथा संस्थागत अंशधारकों के द्वारा ई-वोटिंग कि सुविधा का उपयोग लिंक इनटाईम की ई-वोटिंग वेब साइट <https://instavote.linkintime.co.in> पर लॉगिन करके किया जा सकता है। सदस्यों के पास ई-वोटिंग या भौतिक डाक मत-पत्र फर्म के माध्यम से अपने मताधिकार का उपयोग करने का विकल्प है। यदि सदस्य दोनों माध्यमों से अपने वोट डालते हैं, तो ई-वोटिंग द्वारा किये गये मतदान को मान्य माना जायेगा और भौतिक डाक मत-पत्र के माध्यम से डाले गये वोटों को अमान्य करार किया जायेगा।

डाक मत-पत्र की सूचना सभी सदस्यों / लाभार्थियों को भेज दी गई है, जिनका नाम शुक्रवार, 25 फरवरी, 2022, (कट ऑफ डेट) को सदस्यों के रजिस्टर/ डिपॉजिटरीज के रिकार्ड में दर्ज है। मताधिकार कि गणना पंजीकृत शेयरों के भुगतान मूल्य पर जिन सदस्यों के नाम उक्त तिथि पर पंजीकृत होंगे तथा कोई भी व्यक्ति जो उक्त कट-ऑफ तारीख पर सदस्य नहीं है वह उक्त नोटिस को केवल सूचनार्थ माने। डाक मत-पत्र फर्म प्राप्त ना होने की स्थिति में या भौतिक डाक मत पत्र के माध्यम से मतदान करने की इच्छा रखने वाले सदस्य डाक मत-पत्र फर्म डाउन लोड कर सकते हैं जो उन्हें कम्पनी द्वारा भेजे ई-मेल में मिलेगा या कम्पनी की वेब साइट जो कि www.shreecement.com से या लिंक इनटाईम की वेब साइट जो कि <https://instavote.linkintime.co.in> से डाक मत-पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं या अपने पंजीकृत ई-मेल पते से ई-मेल भेजकर या कम्पनी सचिव, श्री सीमेन्ट लिमिटेड, बांगड़ नगर, ब्यावर -305901 राजस्थान से लिखित में मांग कर सकते हैं।

मतदान की अवधि भौतिक डाक मत-पत्र के माध्यम से और ई-वोटिंग के माध्यम से गुरुवार, 3 मार्च, 2022 को प्रातः 9:00 बजे (IST) से शुरू होगी और शुक्रवार, 1 अप्रैल, 2022 को शाम 5:00 बजे (IST) समाप्त होगी। उसके बाद लिंक इनटाईम द्वारा ई-वोटिंग मोड्यूल को मतदान के लिये निष्क्रिय कर दिया जायेगा। डाक मत-पत्र से मतदान करने वाले सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे विधिवत पूर्ण और हस्ताक्षरित डाक-मत पत्र जांचकर्ता (scrutinizer) को शाम 5:00 बजे (IST) शुक्रवार, 1 अप्रैल, 2022 से पहले प्राप्त हो जाने चाहिये अन्यथा उक्त समय और तारीख के पश्चात प्राप्त डाक मत-पत्रों को अमान्य माना जायेगा।

ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न की जानकारी के लिये कृपया वेब साइट <https://instavote.linkintime.co.in> पर उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQ) तथा Instavote e-voting manual का प्रयोग करें जो कि Help section में उपलब्ध है अन्यथा कम्पनी सचिव श्री एस. एस. खण्डेलवाल khandelwals@shreecement.com को पर ई-मेल लिखें या आप Mr. Rajiv Ranjan, Assistant Vice President- e-voting, Link Intime India Private Limited (Unit: Shree Cement Limited), C-101, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai-400083, India पर ई-मेल: enotices@linkintime.co.in दूरभाष: 022-49186000 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

डाक मत-पत्र द्वारा किये गये मतदान का परिणाम जांचकर्ता (scrutinizer) कि रिपोर्ट के साथ चैयरमैन द्वारा या उनके द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा शनिवार 2 अप्रैल, 2022 को शाम 5:00 बजे (IST) से पहले कम्पनी के पंजीकृत पते, बांगड़ नगर, ब्यावर -305901 पर धोषित किया जायेगा तथा उक्त स्टर्क एक्सचेंजों पर जहाँ पर कम्पनी के अंश सुचीबद्ध है तथा कम्पनी की वेबसाइट www.shreecement.com तथा लिंक इनटाईम की वेबसाइट <https://instavote.linkintime.co.in> पर भी प्रदर्शित किये जायेंगे।

बोर्ड की आज्ञा से

वास्तु श्री सीमेन्ट लिमिटेड

Sd/- एस. एस. खण्डेलवाल

कंपनी सचिव